मांग आधारित न्यूनतम सुरक्षा के लिए पत्रिका

मांग आधारित न्यूनतम सुरक्षा (बीएमएस) के अंतर्गत ऐसे लोगों की जीविका और आवासीय जरूरतों से जुड़ी सेवाएं आती हैं जो विपत्ति से जूझ रहे हैं और अपने निजी माध्यमों (आय, संपत्ति) के माध्यम से जीविकोपार्जन करने में असमर्थ हैं।

दावे की शर्तें

- न्यूनतम आय अथवा कोई आय नहीं
- कोई संपत्ति नहीं
- निचले ऑस्ट्रिया (NÖ) राज्य में मुख्य निवास
- ऑस्ट्रिया में स्थायी निवास का पात्र
- काम करने की इच्छा, यदि कार्य करने में समर्थ हों
- एकीकरण की इच्छा (जैसे: जर्मन भाषा के कोर्सों, मूल्य और अनुस्थापन संबंधी कोर्सों में शामिल होना)
- दस्तावेज जमा करना (परिशिष्ट 1 देखें)

आवेदन प्रेषित करें

- नगर आयुक्त अथवा मजिस्ट्रेट
- स्थानीय नगर पालिका

निर्णय में सक्षम अधिकारी

- नगर आयुक्त अथवा मजिस्ट्रेट

सेवाएं

- अनुमानित न्यूनतम स्तर के तौर पर आर्थिक अथवा वस्तुरूप में भत्ता (परिशिष्ट 2 देखें)।
- ऐसे व्यक्तियों पर न्यूनतम स्तर एकीकरण आम तौर पर लागू नहीं होता है जो पिछले 6 सालों में 5 सालों से कम समय ही ऑस्ट्रिया में रहे हैं (परिशिष्ट 3 देखें)।
- एक ही घर अथवा निवासस्थान में एक साथ रहने वाले सभी व्यक्तियों के न्यूनतम स्तर का योग € 1500.00 तक सीमित है।
- वैधानिक स्वास्थ्य बीमा के लिए धन प्राप्त करना
- पुनर्वास भत्ता

स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान/पंजीकरण

- रकम को बिना किसी अपवाद के एक ऑस्ट्रियन गिरो खाते में प्रेषित किया जाता है
- लाभों की रकम को माह के अंत में खाते में भेज दिया जाता है
- प्राधिकृत संस्था केवल आवेदनकर्ता को निचले ऑस्ट्रिया GKK में बीमा आवेदन के लिए सीधे पंजीकृत कर सकती है

  ➔ आवेदनकर्ता के सभी संबंधियों के लिए निचले ऑस्ट्रिया GKK में एक सह-बीमा के लिये आवेदन किया जाना चाहिए (इसके लिए राशि न्यूनतम सुरक्षा के हिसाब से दी जाती है)।

जिम्मेदारियां

- दावेदारी की शर्तों में किसी बदलाव की स्थिति में दो सप्ताह के अंदर नगर आयुक्त अथवा मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाना चाहिए।

  जैसे:

  - आय अथवा संपत्ति में बदलाव
  - निवास अथवा पारिवारिक संबंधों में बदलाव
  - ऑस्ट्रिया में वैधानिक निवास की स्थिति में बदलाव
  - किसी रोजगार में सक्रिय होना
  - अस्पतालों अथवा स्वास्थ्य केंद्रों में ठहराव
  - दो सप्ताह से अधिक की अनुपस्थितियां

- तीसरी पार्टी से दावों की भरपाई की मांग (जैसे देखभाल, बीमारी भत्ता)
- कार्य क्षमता का उपयोग
- जर्मन की कम जानकारी होने की स्थिति में जर्मन कोर्स में शामिल होना और श्रम बाजार में रोजगार मिलने की संभावनाओं को बढ़ाने, कार्य क्षमता में सुधार और सामाजिक संतुलन (जैसे उदारतापूर्ण मदद) के लिए अन्य समान कौशलों का विकास
- न्यूनतम आठ घंटे के मूल्य और अनुस्थापन कोर्स में शामिल होना; यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो पिछले 6 सालों में 5 साल से कम समय ही ऑस्ट्रिया में रहे हैं।
- ए2 स्तर तक जर्मन भाषा का ज्ञान अर्जित करना; यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो पिछले 6 सालों में 5 साल से कम समय ही ऑस्ट्रिया में रहे हैं।
- एकीकरण समझौता; यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो पिछले 6 सालों में 5 साल से कम समय ही ऑस्ट्रिया में रहे हैं।

अस्वीकृति/ कटौती/ समाप्ति

काम करने से इंकार, एकीकरण की कोशिशों अथवा एएमएस कोर्सों में हिस्सा नहीं लेने (जर्मन कोर्स, मूल्य एवं अनुस्थापन कोर्स और लाभ रहित सहायक गतिविधियां) की स्थिति में और बिना कोई कारण दिए इन उपायों से अनुपस्थित (लापता हुआ) रहने की स्थिति में मांग आधारित न्यूनतम सुरक्षा का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है अथवा किसी खास सेवा पर सीमित कर दिया जाता है या पूरी तरह निरस्त कर दिया जाता है।

धनवापसी, प्रतिपूर्ति और जुर्माना

नीचे दी गई परिस्थितियों में सेवाओं का धन वापस किया जाना चाहिए; जुर्माना वसूला जा सकता है:

- किसी बदलाव के बारे में सूचना नहीं देना
- गलत जानकारी देना या महत्त्वपूर्ण तथ्यों को छुपाना
- प्रयोग में आ सकने वाली संपत्ति का अर्जन (जैसे: वसीयत)
- उपहार प्राप्तकर्ता के साथ अदला-बदली

किसी रोजगार में सक्रिय होने की स्थिति में पुनर्वास भत्ता

पुनर्वास भत्ते के लिए आवेदन ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं जो न्यूनतम पिछले 6 महीने बिना किसी रुकावट के मांग आधारित न्यूनतम सुरक्षा प्राप्त करते रहे हैं और किसी रोजगार में सक्रिय होने जा रहे हैं (छोटे स्तर पर भी)।

<u>आवेदन और जिम्मेदारियां:</u>

आवेदन के लिए दो बातें आवश्यक हैं:

1. रोजगार में सक्रियता, अर्थात काम की शुरुआत के बारे में दो सप्ताह के अंदर संबंधित नगर आयुक्त अथवा मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाना चाहिए।
2. रोजगार में सक्रिय होने या काम की शुरुआत के दूरतम चार सप्ताह के अंदर पुनर्वास भत्ते के लिए लिखित या मौखिक रूप में संबंधित नगर आयुक्त अथवा मजिस्ट्रेट के पास आवेदन किया जाना चाहिए। रोजगार में सक्रियता के बारे में सूचित करते समय ही पुनर्वास भत्ते के लिए आवेदन करना संभव है।

<u>कुल राशि:</u>

पुनर्वास भत्ते की कुल राशि नेट आय का अधिकतम 1/3 हो सकती है। यदि नेट आय और पुनर्वास भत्ता अकेले रहने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम स्तर के 140% से अधिक है तो पुनर्वास भत्ते में इसके अनुसार कटौती की जानी चाहिए।

पुनर्वास भत्ता अधिकतम 12 महीनों के लिए दिया जाता है। किसी सीमित समय के कार्य की स्थिति में पुनर्वास भत्ता इस कार्य की अवधि के मुताबिक दिया जाता है।

परिशिष्ट **1:**

प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज:

1. व्यक्तिगत जानकारियां:

o प्रमाणिक फोटो पहचान पत्र

o जन्म प्रमाण-पत्र

o नागरिकता प्रमाण-पत्र

o यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के नागरिकों के लिए: आव्रजन पुलिस का पंजीयन प्रमाणपत्र

o यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र से बाहर के नागरिकों के लिए: रहने की अनुमति का प्रमाणपत्र, शरण लेने की अनुमति का प्रमाणपत्र

o अधिकार पत्र (अभिभावकता प्रमाणपत्र, मुख्तारनामा, ...)

o तलाक का अदालती आदेश, भुगतान की नोटिस (वैधता सिद्ध करने वाली मुहर के साथ)

2. **आय और संपत्ति से जुड़ी जानकारियां**:

<u>2.1. **आय और संपत्ति के बारें में जानकारियां**:</u>

o पिछले तीन महीनों की आय और वेतन की रसीदें

(न्यूनतम रोजगार की स्थिति पर भी लागू)

o एएमएस से जुड़ी रसीद

o भुगतान की रसीदें (PVA, SVA, ÖBB, VAEB, BVA, बाहरी पेंशन इत्यादि)

o बीमारी भत्ते की रसीद

o साप्ताहिक भत्ते / बच्चों की देखभाल के भत्ते की रसीद

o पेंशन के अग्रिम भुगतान की रसीद

o दुर्घटना पेंशन की रसीद

o देखरेख / पोषण भत्ते की दावेदारी के प्रमाणपत्र

o लीज़ और/ अथवा किराया करार

o आय से जुड़ी अन्य रसीदें (वार्षिक निधि आदि)

o नर्सिंग अथवा अस्पताल भत्ते की नोटिस

o लाभ और हानि का विवरण, पिछले तीन महीनों के लेखा विवरणों में आय और व्यय की गणना

2.2. संपत्ति से जुडी जानकारियां:

o एकाउंट स्टेटमेंट (आवेदन से तुरंत पहले के तीन महीनों के लिए)

o बीमा पॉलिसी (अंत्येष्टि बीमा, जीवन बीमा आदि)

o पासबुक

o भवन निर्माण ऋण करार

o प्रतिभूति बॉण्ड

o फंड

o वाहन (कार, ट्रक, ट्रैक्टर आदि)

o अन्य संपत्तियां (नकद संपत्ति आदि)

o भूसंपत्ति रजिस्टर का लेखा विवरण

महत्त्वपूर्ण निर्देश:

सहयोग की दावेदारी करने वाला व्यक्ति एक तीसरी पार्टी (अभिभावक, पति/पत्नी, ...) के खिलाफ अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है, यदि इन दावेदारियों से मांग आधारित न्यूनतम सुरक्षा की पूर्ति आंशिक तौर पर अथवा बिल्कुल नहीं होती है यह यह स्पष्ट तौर पर अर्थहीन या अनुचित नहीं है।

3. **इसके अलावा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने चाहिए**:

3.1. **अन्य प्रमाण**:

o रोजगार खोज के लिए पंजीकरण की रसीद

o श्रम बाजार सेवा (AMS- एम्स) के साथ समर्थन करार

o श्रम बाजार सेवा (AMS- एम्स) की सेवा अस्वीकृति की नोटिस

o पेंशन से संबंधित दस्तावेज

o देखरेख की प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज

o स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज और कार्य करने की सक्षमता का प्रमाण

o सामाजिक संतुलन के लिए उठाए गए कदमों के प्रमाण (जर्मन कोर्स आदि)

o स्कूली शिक्षा का प्रमाण

3.2. किराये की स्थिति में आवास लागतें:

o किराया करार / सहकारी समिति का करार

o किराये और संचालन की वर्तमान कीमतों का ब्यौरा

o वर्तमान किराये के भुगतान की रसीद

o निवास भत्ते का प्रमाण

3.3. घरेलू संचालन की लागतों के प्रमाण:

o भवन बीमा (पॉलिसी)

o चिमनी स्वीपर का बिल

o कूड़ा निपटान का बिल

o सामुदायिक बिल (पानी/ सीवर)